राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1241/2025

अरविन्द कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :–अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी टमकोर, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/ स्थानांतरण राजकीय जिला चिकित्सालय लालसोट, जिला दौसा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में झुंझुनू जिले में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति रही है कि पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव एक ही स्थान पर अथवा निकटतम पदस्थापित रखा जावें। परंतु उक्त नीति के विरूद्ध जाते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण 350 किमी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के एक छोटा बच्चा है, जो वर्तमान में अध्ययनरत है। अपीलार्थी के पिता वृद्ध है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलार्थी की पत्नी भी झुंझुनू जिले में कार्यरत है और राज्य सरकार की नीति के अनुसार पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जाना चाहिए, तो हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है, ऐसे में प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से लिये गये निर्णय में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप तब तक उचित नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)